रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2932] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 17, 2017/आश्विन 25, 1939
No. 2932] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2017/ASVINA 25, 1939

पोत परिवहन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2017

का.आ. 3349(अ).—नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017 (2017 का 22) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को 9 अगस्त, 2017 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) का खंड (ख) उक्त अधिनियम के अधीन नावधिकरण अधिकारिता का व्यवसाय और प्रक्रिया से संबंधित नियम, जिसके अंतर्गत ऐसी कार्यवाहियों में फीस, लागत और व्यय हैं, के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा नियम बनाने का उपबंध करता है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (3) उपबंध करती है है कि जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा उपधारा (2) के अधीन नियम नहीं बनाए दिए जाते हैं, उच्च न्यायालयों में नावधिकरण अधिकारिता का प्रशासन करने के लिए तत्समय प्रवृत्त सभी नियम नावधिकरण कार्यवाहियों को लागू होंगे ;

और नावधिकरण विषयक उपनिवेशक न्यायालय (भारत) अधिनियम, 1891 और धारा 17 में वर्णित अन्य अधिनियमितियां उक्त अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने पर निरसित हो जाएंगी ;

और नावधिकरण विषयक उपनिवेशिक न्यायालय अधिनियम, 1890 के अधीन नावधिकरण अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालयों द्वारा नावधिकरण विषयों, फीस, लागत और व्यय आदि विषयों के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए नियम विरचित कर लिए गए हैं ;

और उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) का खंड (ख), जो उच्च न्यायालयों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिए नियमों को बनाए जाने और विहित की जाने वाली फीस का उपबंध करता है, साध्य नहीं है क्योंकि प्रक्रिया और फीस में एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के बीच भिन्नता हो सकती है;

और विभिन्न उच्च न्यायालयों, जो विभिन्न भौगोलिक अवस्थानों पर अवस्थित है और जिनकी विभिन्न प्रक्रियाएं और पद्धतियां हैं, के लिए एकसमान प्रक्रिया नियमों की विरचना करना संभव नहीं है ;

और नावधिकरण अधिकारिता का व्यवसाय और प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ऐसी कार्यवाहियों में फीस, लागत और व्यय हैं, के लिए अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियम बनाने में कठिनाइयां उदभूत हो गई हैं, चूंकि संबंधित उच्च न्यायालय नावधिकरण विषयों में अनुसरण किए जाने के लिए ऐसे नियम बनाने के लिए समुचित प्राधिकरण हैं ;

अब, इसलिए, केंद्रीय सरकार, नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017 की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम नावधिकरण अधिकारिता और सामुद्रिक दावों का परिनिर्धारण (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2017 है।

(2) यह उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017 की धारा 16 में,--

(क) उपधारा (2) के खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) के विद्यमान खंड (ग) को खंड (ख) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा ; और

(ग) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(3) नावधिकरण अधिकारिता, जिसके अंतर्गत ऐसी कार्यवाहियों में फीस, लागत और व्यय हैं, के व्यवसाय और प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियम नावधिकरण विषय से व्यवहार करने के लिए अधिकारिता रखने वाले संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा बनाए जाएंगे।"

[फा. सं. एसआर-12014/1/2008-एमजी (खंड-VII)]

सतिन्दर पाल सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

ORDER

New Delhi, the 16th October, 2017

S.O. 3349(E).—WHEREAS, the Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Act, 2017 (22 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) received the Assent of the President on the 9th August, 2017;

AND WHEREAS, clause (b) of sub-section (2) of section 16 of the said Act provides for making rules by the Central Government relating to the practice and procedure of admiralty jurisdiction under the said Act including fees, costs and expenses in such proceedings;

AND WHEREAS, sub-section (3) of section 16 of the said Act provides that until the rules are made under sub-section (2) by the Central Government, all rules for the time being in force governing the exercise of admiralty jurisdiction in the High Courts shall be applicable for admiralty proceedings;

AND WHEREAS, the Colonial Courts of Admiralty (India) Act, 1891 and other enactments mentioned in section17 shall stand repealed on bringing into force of the provisions of the said Act;

AND WHEREAS, High Courts having admiralty jurisdiction have framed rules regulating the procedures to be followed in dealing with admiralty matters, fees, costs and expenses etc., under the Colonial Courts of Admiralty Act, 1890;

AND WHEREAS, clause (b) of sub-section (2) of section 16 of the said Act which provides for making rules for the procedure to be followed in High Court and fees to be prescribed may not be feasible as the procedure and fee may differ from High Court to High Court;

AND WHEREAS, it is not possible to frame uniform procedural rules for various High Courts which are situated in different geographical locations and are having different procedures and practices;

AND WHEREAS, difficulties have arisen in making the rules by the Central Government under clause (b) of sub-section (2) of section 16 of the Act to provide for practice and procedure of admiralty jurisdiction, including fees, costs and expenses in such proceedings, as the respective High Court are appropriate authorities to make such rules to be followed in admiralty matters;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Act, 2017, the Central Government hereby makes the following Order to remove the said difficulties, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) This Order may be called the Admiralty Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims (Removal of Difficulties) Order, 2017.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Act, 2017 in section 16.—

(a) clause (b) of sub-section (2) shall be omitted;

(b) the existing clause (c) of sub-section (2) shall renumbered as clause (b); and

(c) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(3) The rules for regulating the practice and procedure of admiralty jurisdiction including fees, costs and expenses in such proceedings, shall be made by the respective High Courts having jurisdiction to deal with admiralty matter".

[F. No. SR-12014/1/2008-MG (Vol-VII)]

SATINDER PAL SINGH, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.10.18 14:25:19 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.